15/3/24 पत्रावली पेश हुई। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 30/4/24 को पेश हों।

रामकुवार बनाम मुसदीलाल वगै0
164 / 2007

30/04/2024 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी ने कथन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दावा बटवारे का है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जी नीमकाथाना द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से में पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें।

वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत हैं। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 16:22:39 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

FA के लिए
[illegible]
[illegible]
[illegible]
मुसा। [illegible]
दौलतराम [illegible]

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2023/3162 दिनांक 02.08.2023 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्क्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:22:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)